



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

प्री.एम.ई.टी.—2026

(प्री. एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया—2026)

सामान्य दिशा—निर्देशिका



प्रो. अल्पना कटेजा

कुलगुरु

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. राम अवतार शर्मा

समन्वयक

प्रीएमईटी—2026

प्री.एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया —2026

शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर—302004, राजस्थान।

ई—मेल pbmet2026ru@gmail.com

मो. नं. 7340183600

वेबसाईट www.uniofraj.org



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिसूचना प्री. एम. ई. टी. – 2026	1
2.	एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया –2026 हेतु दिशा–निर्देश	2
3.	सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रवेश नियम	3–5



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्री.बी.पी.एड./प्री.एम.पी.एड./प्री.एम.एड./प्री.बी.एड.-एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2026

PBPED, PMPED, PMED & PBED-MED/2026/27

दिनांक: 19.09.2026

अधिसूचना संख्या 01/2026

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों एवं तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम में राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22/09/2026 से 30/09/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट (बी.पी.एड.) www.uniofraj.org का अवलोकन कर तदनुसार ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें। प्रवेश सम्बंधित विस्तृत दिशा-निर्देश/सूचना के लिये आवेदक समय-समय पर अधिकृत वेबसाइट देखते रहें।

क्र.स.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	22/09/2026
2.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	30/09/2026

(प्रो. राम अवतार शर्मा)
समन्वयक

एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया –2026 हेतु दिशा-निर्देश

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाईट www.uniofraj.org पर इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन करें, तत्पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में सामान्य त्रुटि भी आपको इस प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना और निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज नहीं करना व जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र लगाना, इस प्रवेश में लाभ प्राप्त करने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक किया गया कृत्य माना जायेगा।
3. राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी/निर्मित आदेश एवं निर्देश आदि प्रवेश प्रक्रिया पर लागू होंगे।
4. प्री.एम.ई.टी.-2026 आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें, पहले आवेदन फार्म तथा शुल्क रु. 1100/-की मूल प्रति, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के निर्देशानुसार), परित्यक्ता (तलाकशुदा)/विधवा/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, फीस जमा कराने की चालान की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक प.10/(3)शिक्षा-4/2016 पार्ट-00224 दिनांक-23.07.2026 के अनुमोदनानुसार राजस्थान के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रवेश नियम

राजस्थान के सभी एम.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में एम.एड. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रवेश कार्य किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न एम.एड. महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु **प्री. एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया-2026 (प्री.एम.ई.टी.)** अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21/09/2026 से 30/09/2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्री मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रवेश प्रक्रिया 2026, सत्र 2026-27 के द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र मय प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रु. 1100/- है।

एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम:-

1. राजस्थान के सभी एम.एड. महाविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एम.एड. प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग (पुरुष व महिला दोनों) के लिये बी.एड./शिक्षा शास्त्री/बी.ए.-बी.एड./बी.एस.सी-बी.एड./बी.एल.एड./अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा एवं तलाकशुदा (परित्यक्ता) महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवेदक ही योग्य हैं।
3. **प्री. एम.एड. प्रवेश प्रक्रिया, 2026 में अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी।**
4. इस वर्ष बी.एड./शिक्षा शास्त्री/समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिनका परीक्षा परिणाम 15/10/2026 तक घोषित नहीं हुआ, वे नॉन ज्यूडिसियल रु. 50/-स्टाम्प पेपर पर घोषणा करेंगे कि मेरा बी.एड./शिक्षा शास्त्री/समकक्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही महाविद्यालय को अंकतालिका दे दी जायेगी। अगर मेरे परिणाम में निर्धारित अहर्तायें पूरी ना होने के कारण मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो मैं समस्त जमा करवायें शुल्क की मांग नहीं करूँगा/करूँगी।
5. राजस्थान सरकार द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-
 - I. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नहीं हो, शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी, जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं।
 - II. अन्य आरक्षण इस प्रकार रहेगा:-
 - i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
 - ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)
 - iii. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
 - iv. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार) देय होगा।
 - v. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा।
 - vi. राजस्थान के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, मूक/बधिर एवं अस्थि दिव्यांग सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नं. 4 पर नियमानुसार प्रस्तुत करने पर 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर।
 - vii. राजस्थान के सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों (Defence) एवं उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.), सेन्ट्रल पुलिस बल एवं टेरिटरियल बल के कर्मियों का इस श्रेणी में कोई आरक्षण नहीं होगा।
 - viii. राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर पर 10 प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी।

6. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक आधार पर कमजोर सामान्य वर्ग/दिव्यांग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का नवीन प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान का माना जायेगा। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
8. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नहीं की है, देना अनिवार्य होगा।
9. रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें भी एम.एड. प्रवेश परीक्षा में राजस्थान का माना जा सकता है। बशर्ते उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
10. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
11. पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले अनारक्षित सीटों हेतु चयन किया जायेगा, तत्पश्चात आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।
12. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची का परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा। काउन्सलिंग की समय सारणी वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे वेबसाइट पर ध्यान रखें। किन्ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या ऑनलाईन काउन्सलिंग होने पर निश्चित समय पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं करने या काउन्सलिंग के समय जो महाविद्यालय उनको आवंटित किया जाता है, उसे अस्वीकार करने पर एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मैरिट का स्थान खो देगे और पुनः उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद पुनः किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी एम.एड. पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है।
14. पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
15. काउन्सलिंग की तिथि 15/10/2026 तक निर्धारित पात्रता परीक्षा की मूल अकंतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता उपरोक्त बिन्दु सं. 03 में वर्णित विवरण के अनुसार होगी।
16. **प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य दिशा-निर्देश**
 - i. अभ्यर्थी को एम.एड. प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं के स्तर पर जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि एम.एड. प्रवेश स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। एम.एड. में प्रवेश की जिम्मेदारी स्वतः अभ्यर्थी की अपनी है। यदि बाद में यह पता लगे कि वह एम.एड. में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता और तो उसे प्रवेश का कोई अधिकार नहीं होगा।

- ii. अभ्यर्थी को ऑनलाईन उपलब्ध नियमावली व सामान्य निर्देशों की प्रतिलिपि प्राप्त कर ध्यानपूर्वक अध्ययन करके तथा पालना करते हुए आवेदन पत्र भरना चाहिये।
- iii. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नहीं करना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किये बगैर पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- iv. प्री.एम.ई.टी.-2026 का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।
- v. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एम.ई.टी. नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
- vi. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि (Oldest) को आधार माना जायेगा।

प्रवेश शुल्क एवं आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

- I. **प्रवेश शुल्क:** अभ्यर्थी एम.एड. प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 1100/- का भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/UPI/E-Mitra अथवा नेट बैंकिंग से कर सकेंगे तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।
- II. **ऑनलाईन आवेदन-पत्र व चालान की प्रिन्ट प्रतियों को सुरक्षित रखने हेतु:** प्रीएमईटी-2026 आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें। पहले आवेदन फार्म तथा पंजीकरण शुल्क रु. 5000/- की मूल प्रति, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा (परित्यक्ता), दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति एवं फीस जमा कराने की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होंगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
- III. **आवेदक ध्यान दे :-** जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित 5000/- पंजीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया है किन्तु किन्ही कारणों से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है तथा सीटों के अभाव में महाविद्यालय आवंटित नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित हो चुका है किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है, उनसे पंजीकरण राशि में से 1000/- प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकी है, उनके पंजीकरण राशि में से रु. 500/- प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभार के रूप में काटकर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
- IV. **पाठ्यक्रम शुल्क :-** एम.एड पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 22430/- वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया हुआ है। अतः अभ्यर्थियों से कुल शुल्क उपरोक्तानुसार ही लिया जाना है।
- V. **आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा यदि:-**
 - i. अर्हक परीक्षा की सभी अंक सूचियों की फोटो प्रतियाँ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणीकृत न हो अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित न हो।
 - ii. मूलनिवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो।
 - iii. आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो।
- VI. न्यायालय में दायर सभीवादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. सत्र 2026-27 में मात्र प्रवेश देने की जिम्मेदारी ही राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

*****END*****